उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-184भा.स./सैंतीस-2-2005-30(93)/05
लखनऊ :: दिनांक 19 जनवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) के प्रकोप का प्रभाव मानव समाज में विश्वस्तरीय चिन्ता का विषय है। यद्यपि इस प्रकार की बीमारी का कोई उदाहरण प्रदेश में प्राप्त नही हुआ है फिर भी किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये यह आवश्यक है कि एक टास्क फोर्स का गठन प्रदेश स्तर पर किया जाय।

2- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इस टास्क फोर्स द्वारा एवियन इन्फ्लुएन्जा की गतिविधियों पर निगरानी रखी जायेगी। इसके साथ ही साथ पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किये जा रहे निगरानी कार्य का भी दायित्व टास्क फोर्स में अन्तर्निहित होगा:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वन विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग	सदस्य
7.	सचिव, पशुधन विभाग	सचिव-सदस्य
8.	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
9.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, वन विभाग	सदस्य

3- प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएन्जा की निगरानी हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अनुरूप ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित की जायेगी। उक्त समिति में स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण, वन, सिंचाई तथा गृह विभाग आदि के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे।

(आर.रमणी)
मुख्य सचिव ।

संख्या-184भा.स.(1)/सैंतीस-2-2005- तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-272/4/1/2005-सीए. वी. दि0-13.12.05 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव (अध्यक्ष), उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. टास्क फ़ोर्स के सदस्यगण।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस.एस.यादव)
सचिव ।